Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
February 2024 5(2), 1004–1009

ROLE OF NATIONAL POLICIES IN DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL VALUES AMONG STUDENTS

विद्यार्थी में संवैधानिक मूल्यों के विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां की भूमिका

Rahul Mishra [1], Amit Kumar Agarwal [2]

[1] Assistant Professor, District Institute of Education and Training, Rajinder Nagar, New Delhi 110 060
[2] Assistant Professor, District Institute of Education and Training, Rajinder Nagar, New Delhi 110 060

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.3970

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: In this article, constitutional values have been described through the textbooks of school education and an attempt has been made to clarify that education is the carrier of constitutional values. To fulfill constitutional values, constitutional-value centered curriculum and lessons of textbooks are based. Creating a sense of coordination and brotherhood among citizens, protecting the dignity and freedom of the individual, as well as being aware of constitutional values is possible only through education. Education teaches the nation and the individual to respect and honor the rights and needs of the deprived and the needy. In this way, constitutional values are fulfilled by sitting in the boat of education. Fulfillment of constitutional values binds a diverse nation together. The present article explains the role of various national education policies in developing constitutional values in a student or future citizen. Also, it explains the development of constitutional values through the lessons of school textbooks prepared on the basis of national education policies. The writers have tried to show various values from the textbooks available in school education such as social justice and equality, faith and belief, national integrity, dignity of the individual etc. While highlighting various values in the books, they have also tried to interpret the stories in the same context.

Hindi: प्रस्तुत लेख में संवैधानिक मूल्यों को विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से वर्णित किया है साथ ही यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा ही संवैधानिक मूल्यों की वाहक है। संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति हेतु, संवैधानिक–मूल्य केंद्रित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के पाठ आधारित होते हैं। नागरिकों में समन्वय और बंधुत्व का भाव पैदा करना, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना, साथ ही संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वंचितो और जरूरतमंदों के अधिकारों और जरूरतों का आदर व सम्मान करना, राष्ट्र व व्यक्ति को शिक्षा सिखाती है। इस तरह शिक्षा की नाव में बैठकर संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति होती है। संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति ही एक विविधता पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखती है। वर्तमान लेख विद्यार्थी या भविष्य के नागरिक में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की भूमिका की व्याख्या करता है। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के आधार पर तैयार की गई विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के पाठों द्वारा संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने की व्याख्या करता है। विद्यालयी शिक्षा में उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों से विभिन्न मूल्यों जैसे सामाजिक–न्याय व समानता, विश्वास व आस्था, राष्ट्रीय अखंडता, व्यक्ति की गरिमा आदि को लेखकों ने दर्शाने का प्रयास किया है। पुस्तकों में विभिन्न मूल्यों को उजागर करती हुई इसी संदर्भ में कहानियों की व्याख्या का भी प्रयास किया है।

1. प्रस्तावना

संवैधानिक मूल्य और शिक्षा

भारतीय शिक्षा के ‘उद्देश्य’ या कहें ‘मूल्य’ वही है जो संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। कोई भी शिक्षा व्यवस्था बिना मूल्यों के गतिशील नहीं हो सकती, उसे गतिमान बनाने के लिए या कहें शिक्षा संविधान के मूल्यों के इर्द-गिर्द विकसित होती है। संविधान के मूल्यों को आधार मानकर शिक्षा

नीति तैयार की जाती है। शिक्षा नीति में उन मूल्यों के साथ नई व्यवस्था से शिक्षा में क्या और आवश्यक है, का पूरा ध्यान रखा जाता है। शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने हेतु विभिन्न स्तरीय राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो विषय का करिकुलम और उसे कार्यान्वित करने का आधार बनता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए पाठ्य–पुस्तकों की रचना की जाती है। उन पाठ्यपुस्तकों में उन्हीं पाठ के द्वारा संवैधानिक मूल्य पर चर्चा की जाती है: चाहे वह स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की गरिमा हो, समानता हो, इस सब पाठों और गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों का विकास होता है।

संविधान का बुनियादी काम समाज के सदस्यों में एक समन्वय और विश्वास बनाए रखना है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए संविधान में चार आदर्शों की बात की गई है– न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आदर्श तब तक प्राप्त नहीं किए जा सकते, जब तक कि शिक्षा द्वारा नागरिकों में उनके महत्व के संबंध में समझ उत्पन्न न हो जाए। इन आदर्शों को व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शिक्षा सहज और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जिससे शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके जिससे कि सभी वर्गों को सामाजिक उत्थान के लिए समान अवसर प्रदान किए जा सकें।

न्याय की अवधारणा केवल न्यायालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच में तथा व्यक्ति एवं राज्यों के बीच में न्याय पूर्ण संबंधों की ओर भी केंद्रित है। संविधान 'न्याय' को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है।

मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य

1) विद्यार्थियों में सहयोग, प्रेम तथा करुणा, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, बंधुत्व, श्रम की गरिमा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विभेदीकरण की शक्ति आदि मौलिक गुणों का विकास करना।
2) देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उन्हें जागरूक करना।
3) विद्यार्थियों को उत्तरदायी नागरिक बनाने हेतु प्रशिक्षित करना।
4) पाठ्यक्रम में परंपराएं, संस्कृति, रीति–रिवाज, भाषा, दर्शन, प्राचीन व समकालीन ज्ञान सीखने के भारतीय तरीके जैसे कहानी, खेल–कला, उदाहरण, समस्याओं आदि को सम्मिलित करना ।
5) मूल्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भारतीयता व स्थानीयता की दृष्टि से पुनर्गठित करना।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज में बराबरी का स्थान, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उचित व बराबरी का स्थान प्रदान करने का विश्वास दिलाता है। इस समान स्तर को प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयां आती है उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। शिक्षा हमें सामाजिक न्याय के अनुरूप प्रदान करनी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति सहज रूप से शिक्षा लेकर अपना चहुमुखी विकास कर सके। किसी पर कोई अयोग्यता जबरन न थोपी जाए बल्कि आवश्यकता और क्षमता के आधार पर शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाए। सबको अपने–अपने आत्मविश्वास के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। सामाजिक न्याय के अंतर्गत कोई भी धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग भेद या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव, रुकावट न किया जाए। किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इसकी समझ का विकास सामाजिक न्याय के तहत शिक्षा द्वारा ही संभव है जिसमें समाज मुख्य भूमिका निभाता है।

आर्थिक न्याय

आर्थिक न्याय स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का, रखने का और उपयोग करने एवं कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। शैक्षिक रूप से इसका अभिप्राय है कि राज्य किसी को कोई वृत्ति चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य का कार्य है कि वह व्यवसाय आदि के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करें। आर्थिक न्याय के आधार पर ही व्यक्ति की आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जाए। कामगार व्यक्तियों को रुचि अनुसार कौशल दक्षता दी जाए जिससे वह जीविकोपार्जन करते हुए देश के आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे सकें। राज्य व्यक्तियों के लिए ऐसा आर्थिक वातावरण बना सके जिससे वह सहजता से अपनी कार्य क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुन सके।

राजनैतिक न्याय

संविधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक मतदान करने और चुनाव में प्रतिभागी बनने का अधिकार रखता है। वह चाहे प्रशिक्षित हो, किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो। शिक्षित व्यक्ति को राजनीतिक रूप में जागरूक होना आज की आवश्यकता है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसने ब्रिटिश भारत में अन्याय का पूरा एक युग देखा है। संविधान में राजनैतिक न्याय की भावना यह दर्शाती है कि मानव कल्याण हेतु, गरीबों के हक हेतु, सामाजिक समरसता हेतु, न्याय की अत्यंत आवश्यकता है। न्याय हमारे अधिकारों को मजबूत बनाता है। न्याय को कार्यान्वित करने हेतु कानून का सहारा लिया जाता है।

यदि समानता की बात की जाए, तो भली-भांति परिचित है कि समानता एक मौलिक अधिकार है जो इस बात पर साफ तौर पर सबके सामने रखता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सर्वत्र समान अधिकार है। समानता का अधिकार न्याय के बिना अधूरा है, जब हम एक समतामूलक राज्य की स्थापना चाहते हैं तब हमें सक्रिय न्यायप्रणाली की आवश्यकता होती है जो बिना किसी के प्रभाव में सही तथ्यों के आधार पर न्याय की स्थापना कर सके। जिससे विश्वास और व्यक्ति की गरिमा स्थापित होती है उसे राष्ट्र के प्रति प्रेम और आस्था पैदा होती है। न्याय के प्रति जागरूक करना शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रायोजन होता है। विद्यार्थी शैक्षिक तरीके से न्याय और न्यायप्रणाली के प्रति जागरूक हो सके, यह कार्य शिक्षा और उसका पाठ्यक्रम द्वारा भली-भांति किया जा सके। न्याय का एक पहलू लोगों की बीच व्यवस्था की स्थापना पर जोर देता है जबकि दूसरा पहलू अधिकार व कर्तव्यों पर जोर देता है।

समानता के लिए संघर्ष

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क उसका आर्थिक स्तर व जाति कुछ भी हो वह वोट देने का अधिकारी है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ वोट के अधिकार तक ही सीमित है या क्या देश के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है? इस बात की चर्चा कक्षा सात के सामाजिक व राजनीतिक जीवन-II (एनसीईआरटी: 2008) में विस्तार से कहानी के रूप में की गई है– जिसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति की कहानी दी गई है। जिसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि से स्कूल में झाड़ू लगवाने की कहानी व अंसारी दंपत्ति को किराए का घर खोजने में हुई परेशानी का विवरण है वहीं अमेरिका में रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी–अमेरिकन महिला है। ऑफिस में काम से थक कर जब वह अपने घर बस से लौट रही है और एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से इनकार करने पर, असमानता को लेकर सुलग रही चिंगारी सिविल–राइट्स मूवमेंट का रूप ले लेती है। यह कहानी हमें समानता के लिए हुए विद्रोह के पीछे की पृष्ठभूमि बताती है। व्यक्ति की गरिमा और समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति की गरिमा तभी स्थापित की जा सकती है जब उसके साथ सामाजिक तौर पर समानता का व्यवहार किया जाए। इसे स्थापित करना राज्य का कर्तव्य है जो शिक्षा के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है, साथ ही उल्लंघन होने पर कानून की याद दिलाता है।

कक्षा सात की सामाजिक व राजनीतिक जीवन-II की पुस्तक (एनसीईआरटी: 2008) के अन्य पाठ में 'समानता के लिए संघर्ष' में जब जंगलों के बड़े हिस्सों को जानवरों के लिए अभ्यारण घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो परिणामस्वरूप हजारों लोग विस्थापित होते हैं। विस्थापन हमारे देश की बड़ी समस्या है। विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अनेक संगठन आगे आते हैं। विस्थापितों को हक देना सरकार का एक गरिमापूर्ण कार्य है।

स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को गरिमा पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार दिया गया है। जीने का अधिकार एक विस्तृत व्याख्या देता है। जीने के लिए तीन अति आवश्यक तत्व है– साफ हवा, साफ जल और शुद्ध भोजन। अगर व्यक्ति को साफ/शुद्ध हवा न मिले तो जीवन जीने की सीमा अल्प और बीमारी युक्त होगी। भारत के कई शहरों में हवा अशुद्धता के चरम पर है इसे कैसे सांस लेने योग्य बनाया जाए, शुद्ध भोजन जो मिलावटी चीजों से अलग हो, पानी पीने योग्य हो तभी जीने का अधिकार फलीभूत हो सकता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि जीवन जीने के लिए उचित पाठ्यक्रम तैयार करें। जीविकोपार्जन भी कहीं न कहीं जीने के अधिकारों से जुड़ा है। व्यक्ति को उसकी क्षमतानुसार कार्य मिल सके। जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। नागरिकों का जैसा स्वास्थ्य होगा वहां की विकास दर उतनी ही मजबूत होगी।

आठवीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान (एनसीईआरटी: 2008) की पुस्तक की इकाई तीन में एक अध्याय आता है, न्यायपालिका इसके अंतर्गत बच्चे अपराधिक प्रणाली के विषय में समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है। पाठ का संदर्भ है कि कांता घरों में काम करके अपना गुजारा चलाती है। वह दस हज़ार रुपये अपनी कमाई के एकत्रित करती है, पर उसकी मालकिन उस पर इल्जाम लगा देती है कि यह दस हज़ार रुपये वह चुरा–कर लाई है। मालकिन पुलिस को फोन कर देती है, कांता पुलिस को यह समझाती है कि वह उसकी मेहनत की कमाई है। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है कांता को गिरफ्तार कर लेती है। उसके पश्चात् मामला कोर्ट पहुंचता है, कांता को वकील मुहैया कराया जाता है। बाद में यह साबित हो जाता है कि यह कांता की ही कमाई हुई पूंजी थी। यह कहानी पुलिस कर्मियों पर सवाल उठाती है कि जांच पड़ताल की कमी के कारण सिर्फ शिकायत पर कांता को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन न्यायालय में पुलिस साबित नहीं कर पाती है और कांता बेकसूर हो जाती है। यह कहानी यह भी साबित करती है कि न्याय अंत में कसूरवार को सजा व निर्दोष के पक्ष में न्याय देता है। यह कहानी कमजोर वर्ग में न्यायालय के प्रति आस्था व विश्वास पैदा करती है जो कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सक्षम होती दिखाई देती है।

अखंडता–

भारत जैसे विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोए रखना एक बड़ा कार्य है। भारत की जनता 1947 में जब आजाद हुई तो उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, देसी रियासतों के शासन और झंडे को मानने से इंकार कर दिया। भारतीय जनता की यह इच्छा उन्हें विविध होते हुए भी एक सूत्र में बांधकर रखती है। कोई भी देश जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द यह बताता है कि भारतीय एक है भले वह जाति, वर्ग, धर्म, भाषा व क्षेत्रीयता पर अलग हो लेकिन देश की सोच राष्ट्रीय है और यही

विचार भारत को एक राष्ट्र बनाने में सफल है। शिक्षा इस विचार को और सुदृढ़ बनाती है बल्कि अनेक लोकनृत्य, भाषाई ज्ञान, लोक–कलाओं से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरों से परिचित कराती है। जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की लोक–कलाओं और भाषाओं का सम्मान करता है तो गरिमापूर्ण तरीके से अखंड भारत बन जाता है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद बनाए गए विभिन्न शिक्षा कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संवैधानिक मूल्यों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई गई, प्रमुख आयोगों की सिफारिशों व शिक्षा नीति के प्रमुख विचार निम्नवत है:

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53 का गठन डॉ लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय माध्यमिक शिक्षा का मूल्यांकन कर सुझाव देना था। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास, सामाजिकता को बढ़ावा देना आदि को प्रमुखता देते हुए, बालक के व्यक्तित्व विकास में नेतृत्व विकास, व्यवसायिक उन्नति, संप्रदायिकता आदि को प्रोत्साहित किया है। समानता व प्रजातंत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने हेतु माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर भी बल दिया है। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा उसको उपयोगी बनाने को कहा। राष्ट्रीय भावना को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय मूल्यों एवं संविधान प्रस्तावना पर बल दिया। पाठ्यक्रम को बालक व बालिकाओं में समानता, अवसरों की उपलब्धता, जनोपयोगी व उत्पादकता से जोड़ना, उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना आदि से जोड़कर बनाने का सुझाव दिया। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यों को माध्यमिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल दिया है। उपरोक्त सभी तथ्य विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने में सहयोगी है।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66)

राष्ट्रीय विकास को उद्देश्य मानते हुए डॉ डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। विद्यार्थियों में बिना राष्ट्रीय भावना के राष्ट्रीय विकास असंभव है। राष्ट्रीय भावना का विकास संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को संपूर्णता से अध्ययन किया तथा अपने सुझाव दिए। राष्ट्रीय क्षमता/दक्षता का विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना, समाजवादी समाज की भावना के लक्ष्यों को लेकर इस आयोग ने अपने सुझावों में राष्ट्रीयता को अहमियत दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्यों से जोड़ने में इस आयोग ने प्रमुख भूमिका निभाई जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बल मिला। भारतीय संविधान के अंतर्निहित संवैधानिक मूल्यों को भारतीय विद्यार्थियों में आत्मसात कराना इस आयोग की सिफारिशों का मुख्य केंद्र था। समानता हेतु बालिकाओं, अन्य पिछड़े वर्गों में शैक्षिक समानता, अवसरों को उपलब्ध कराकर पिछड़े और वंचित सामाजिक वर्गों के उत्थान हेतु, उचित व्यवस्था हेतु सुझाव देना, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हुए पाठ्यक्रम में सभी वर्गों के विचारों को समान महत्व देना आदि शामिल किए गए। वही विशेष सुविधाओं से युक्त विद्यालयों/विश्वविद्यालयों को आरंभ व अपग्रेड करना जिसमें राष्ट्रीय हित हेतु अवसर प्रदान किए जा सके। इस प्रकार कोठारी आयोग संवैधानिक मूल्यों को शिक्षा जगत से मुख्यतः सम्मिलित करने के लिए अग्रणी रहा।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000

विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के निर्माण के तीन आधार स्तंभ है– प्रासंगिकता, समानता और उत्कृष्टता। इस पाठ्यचर्या में भारतीय संविधान के मूल्यों को सम्मिलित कर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुसंबद्धता पर बल दिया गया था। इस श्रृंखला में भारतीय संविधान के भाग 4 एक अनुच्छेद 51अ में लिखित कर्तव्यों को प्रमुखता दी गईं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2000 में पाठ्यक्रम में संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, भारतीयों में समरसता और भारत के भ्रातृत्व की भावना का विकास करना आदि को शामिल किया है। इन्हें पठन-पाठन क्रियाओं में सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। विद्यालयी शिक्षा के छात्रों को सक्रिय और जिज्ञासु करार देते हुए, उसमें रचनात्मक और उत्पादकता का व्यक्तित्व विकसित करने पर जोर दिया है। जिसका केंद्र बिंदु भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक प्राथमिकताओं एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों को रखा गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को आधार मानते हुए प्राचीन भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2000, संविधान के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सराहनीय प्रयास रहा है। जिससे विद्यार्थियों अथवा भावी नागरिकों में सवैंधानिक मूल्यों का विकास संभव हुआ।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005

संवैधानिक मूल्यों को प्रमुखता देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 (जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है) के सर्वोपरि उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, अखंडता को अपनाते हुए छात्रों की विकास की बात की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को मानवता सिद्धांत, एकता सिद्धांत, बहु–संस्कृति सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत आदि को अपनाकर तैयार किया गया जो कि संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को असाधारण जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को सभी के कल्याण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय मूल्यों के विकास पर जोर दिया जिसको फलीभूत करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 ने प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के पाठ 1 के अनुसार *"अगर हमें लोकतंत्र को शासन चलाने की प्रणाली मात्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली के रूप में पोषित करना है तो, संविधान में निहित मूल्य सर्वोपरि महत्व की हो जाते है।"* उल्लेखित पाठ में, भारत–प्रजातंत्रीय राष्ट्र के प्रत्येक मूल्यों को शिक्षा से सीधा जोड़ने तथा विकसित करने पर बल दिया है। जिसमें अवसर की समानता, सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक न्याय की उपलब्धता, भाईचारे की भावना, स्वतंत्रता के सिद्धांतों आदि को शामिल किया है।

संवैधानिक मूल्य एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), वैश्विक शिक्षा विकास योजना के लक्ष्य 4 (SDG-4) को प्रमुखता देते हुए बनाई गई नीति है, जिन लक्ष्यों को भारतवर्ष में 2015 में अपना लिया था। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर ज्ञान में विस्फोटक परिवर्तन का दौर है, साथ-साथ भारतवर्ष संवैधानिक मूल्यों को सम्मिलित करते हुए भावी वैश्विक व्यक्तित्व तैयार करने में प्रयासरत है। इस उपलक्ष में भारत में 2040 तक का उद्देश्य निर्धारित करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सृजन किया है। जिसमें मूलभूत सिद्धांतों का मार्गदर्शन लिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 9 अगस्त 2021 के अनुसार "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुसार, भारतीय शिक्षा प्रणाली में नैतिक तर्क, पारंपरिक भारतीय मूल्यों, बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों (जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, बलिदान, संहिष्णुता, विविधता, लैंगिक संवेदनशीलता, बड़ों का सम्मान, धार्मिक प्रतिष्ठा आदि को शामिल किया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृति, परंपराओं, विरासत, रीति-रिवाजों, सामाजिक एवं वैज्ञानिक आवश्यकताओं, सीखने के भारतीय एवं पारंपरिक तरीकों को महत्व दिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के पैरा 4.28 के मतानुसार, विद्यार्थियों को 'सही को करने', नैतिक निर्णय लेने, भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियों को पढ़ने, वैश्विक साहित्य को पढ़ने, देशभक्ति कार्यों को करने, पंचतंत्र की मूल कहानियों को जानने का अवसर देना। जिससे बालकों अथवा बालिकाओं में मूल्यों का विकास संभव हो सके।

पैरा 8.4 लोकतांत्रिक समाज के सृजन में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो देश को उच्चतम स्तर तक पहुंचने में संचालन के तरीके को निर्देशित करती है। संवैधानिक परिपेक्ष में भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण जो राष्ट्र में न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि का भाव विकसित कर सके, ऐसी शिक्षा नीति भारतीय संविधान के संचालक के रूप में प्रयोग होती है। पैरा 9.1 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ऐसे ही योगदान, विकास–कार्यों, ज्ञान– आधारित अर्थव्यवस्था से भरपूर है जो संविधान को प्रचालित करने में सक्षम होगा। संविधान के प्रस्तावनानुसार भारतीय नागरिकों के गुणात्मक विकास हेतु शिक्षा व्यवस्था सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक राष्ट्र के ज्ञान, आजीविका को उच्च स्तर पर लाना व सक्षम बनाने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के पैरा 20.4 में विधिक शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से राष्ट्र के पुनर्गठन पर बल दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम को भी संविधान के न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित बनाया जाए, ऐसा बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में दिया गया।

2. निष्कर्ष

संवैधानिक मूल्य किसी भी देश की आत्मचेतना है जिसके इर्द-गिर्द शिक्षा–व्यवस्था, कार्य– प्रणाली, शासन–प्रशासन की गतिविधि व न्याय–व्यवस्था घूमती है। संवैधानिक मूल्य उस संस्कृति के हिस्से हैं जो वसुधैव–कुटुंब पर आधारित है। उपरोक्त लेख में संवैधानिक मूल्यों की चर्चा जो शिक्षा–नीति व आयोगों में व्यक्त की गई है, के संदर्भ का प्रयास है। साथ ही पाठ्यपुस्तक के पाठ संवैधानिक मूल्यों के आसपास घूमते हैं या कहें पाठ का दर्शन मूल्यों की स्थापना से संबंधित है जो कक्षा के दौरान विद्यार्थियों में की जानी है। जिससे राष्ट्र के नागरिकों में समन्वय, बंधुत्व, लोकहित, गरिमा–पूर्ण जीवन जीने का हक सबको बराबर मिल सके। साथ ही श्रम की महत्व और श्रम के प्रति सम्मान का भाव लोगों में पैदा किया जा सके, तभी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति समाज व देशहित में होगी।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

National Council of Teacher Education (1999) Gandhi's Educational Ideas, New Delhi 99/41

National Curriculum Framework 2000, NCERT, New Delhi.

Kashyap, Subhash (2004) Our Constitution, National Book Trust, India, ISBN: 81-237-1913-2

National Curriculum Framework 2005, NCERT, New Delhi.

NCERT (2008) Social and Political Life – II, Textbook for Class 7, New Delhi.

NCERT (2008) Social and Political Life – III, Textbook for Class 8, New Delhi.
National Education Policy 2020, Ministry of Education, Government of India. National Council of Teacher Education (1999) Gandhi's Educational Ideas, New Delhi 99/41
National Curriculum Framework 2000, NCERT, New Delhi.
Kashyap, Subhash (2004) Our Constitution, National Book Trust, India, ISBN: 81-237-1913-2
National Curriculum Framework 2005, NCERT, New Delhi.
NCERT (2008) Social and Political Life – II, Textbook for Class 7, New Delhi.
NCERT (2008) Social and Political Life – III, Textbook for Class 8, New Delhi.
National Education Policy 2020, Ministry of Education, Government of India.